न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

दिनांक

फर्द अहकाम

मु० न० 05/18 तारीख रजू 5-1-18

उनवान – नंदराम बनाम रामबक्स वगै० मेहन्दीपुर

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती रिकार्ड जमाबन्दी स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्रीरामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगणो को जरिये सम्मन से तलब कर दिनांक 18.1.18 को पेश हो। 80-87 / 5-1-18

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

18.1.18
वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं 1 ता 6 की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 8 उपस्थित नहीं है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 7 का सम्मन बाद तामील प्राप्त नहीं। वास्ते जय सम्मन व जवाब पेश करने दि० 8.2.18 को पेश हो।

8.2.18
वकुलाय उप०। प्रतिवादी नं. 7 की तलबी कराने व जवाब शीघ्र प्रतिवादी पेश करने दि० 5.3.18 को पेश हो।

5.3.18
वकुलाय उप०। पीठासीन अधिकारी [illegible] व्यस्त होने से पत्रावली गतानुसार दि० 2.4.18 को पेश हो।

2.4.18 वकुलाय उप०। वादी वकील [illegible] प्रतिवादी नं [illegible] जो AD सम्मन तलबाना पेश करे। वास्ते तलबी दि० 13.4.18 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:54:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

ांक	फर्द अहकाम
[illegible]	वकुलाय उप०। तामील त्याए की गई। वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 21-8-19 को पेश हो।
21.8.19	वकुलाय अस्थित/पीठासन अधिकारी करौली पधारे है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 4-9-19 को पेश हो। रीडर
4.9.19	वकुलाय उप०। वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 18-9-19 को पेश हो।
18.9.19	वकुलाय उप०। गतानुसार दिनांक 27.9.19 को पेश हो।
27.9.19	वकील उभय पक्ष उपस्थित। इस वाद पत्र में वर्णित आराजीयात से संबंधित एक प्रकरण उनवानी बालकिशन बनाम रामबक्स मे वकील उभयपक्ष की बहस मे कथन किया कि इस वाद पत्र मे वर्णित आराजीयात के संबंध में माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में अपील विचाराधीन है तथा उस अपील मे स्थगन है। अपील में अभी निर्णय पारित होना है अपील विचाराधीन होने से इन्ही खसरा नम्बरान के बावत प्रकरणों मे निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। इसलिए प्रकरण दावा। प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज कर दिये जावे। वकील [illegible] बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन [illegible] पत्र मे वर्णित आराजीयात के [illegible] मंडल राज० अजमेर में अपील संख्या 2018/4070 विचाराधीन है

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:54:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभी

दिनांक	फर्द अहकाम
	तथा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए स्थगन आदेश है। न्यायालय उपजिला कलक्टर अधिनस्थ न्यायालय है राजस्व न्यायालयों का माननीय राजस्व मंडल राज० अजमेर उच्चतर न्यायालय है। विवादित आराजीयात के बाबत प्रकरण उच्चतर न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान में अपील विचाराधीन होने के कारण इस न्यायालय द्वारा कार्यवाही जारी रखना न्यायोचित नहीं पाता हूं। अत: यह दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	[signature] उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:54:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner